2020/00048

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 28 / 2020

वादी

1. इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां जाति मुसलमान निवासी रामदेवनगर आमला फलोदी तहसील जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

श्री सुमेर सिंह चौहान अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.11.2020

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खीचन में खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा किस्म बी–4 काश्त भूमि वादी की खातेदारी अधिकारों की स्थित है उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि पूर्व में स्योनारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति पुरोहित निवासी खीचन के नाम खातेदारी अभिलेख में दर्ज थी, वादी के पिता वलीखां और अदरीम के पिता लालखां ने स्योनारायणसिंह के अन्य खातेदारी अधिकारों की ग्राम खीचन स्थित भूमि के सम्बध में हुई भंयकर लड़ाई में वादी के पिता वलीखां के देहान्त होने से खातेदार स्योनारायणसिंह ने बाद में उक्त वादग्रस्त मूल रकबा 90 बीघा 19 बिस्वा भूमि अदरीम पुत्र लालखां 1/2 हिस्सा व वादी शेर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां 1/2 हिस्सा के रूप में बख्सीस कैर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 289 ग्राम खीचन अदरीम व वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वक्त बख्सीसनामा एंव स्वीकृत होने नामान्तरकरण सं. 289 ग्राम खीचन वादी का लाड प्यार का बोलता नाम शेर मोहम्मद होने से बख्सीसनामा एंव नामान्तरकरण एंव राजस्व रेकर्ड में वादी का बोलवान का नाम शेरमोहम्मद दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में वादी का नाम इमू खां है इमूखां के नाम से ही वादी के पहचान सम्बधी सारे दस्वावेज बने हुए है वादी इमू खां के नाम से ही व्यवहान में चला आ रहा है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने वास्तविक नाम इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां की घोषणा करवाने का जायज अधिकारी है

वादी एंव सहखातेदार अदरीम के मध्य नामान्तरकरण सं. 289 के बाद रकबा 90 बीघा 19 बिस्वा काश्त भूमि का बंटवाडा होने से नामान्तरकरण संख्या 1392 के जरिये वादग्रस्त काश्त भूमि खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम खीचन वादी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज अभिलेख चली आ रही है वादी अनपढ व्यक्ति है और वह कानून की बारीकियों से अनजान व्यक्ति है एसे वक्त बंटवाड़ा भी अपने गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद को दुरुस्त करवाकर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद के नाम से बंटवाड़ा करवाने की किसी ने भी सलाह नही दी वादी ने हाल ही में कृषि कनेक्शन हेतू दस्तावेज प्राप्त कर सरकारी सहायता हुतू पटवारी हल्का से दिंनाक 13.8.2020 को सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम शेर मोहम्मद और अन्य दस्तावेजों में इमू खां दर्ज होने से नाम की भिन्नता की वजह से कृषि कनेक्शन आदि नाम दुरुस्ती के बाद ही सम्भव होना बताया , तब वादी ने उसी रोज दिनांक 13.08.2020 को प्रतिवादी से मिलकर अपने राजस्व रेकर्ड और पहचान सम्बंधी दस्तावेज दिखाकर वादग्रस्त काश्त भूमि में नाम दुरुस्ती करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश से ही रिकार्ड दुरुस्ती होना सम्भव बताया जिस पर वादी की और से यह दावा पेश है वादग्रस्त भूमि में कोई राजकीय हित निहित नहीं है इसलिए प्रतिवादी को वादी के वाद की रूह से धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने की भी कानूनन आवश्यकता [illegible] नामान्तरकरण वादग्रस्त काश्त भूमि का बख्सीसनामा वादी के नाम होने, नामान्तरकरण [illegible] 289 [illegible] खीचन 1/2 हिस्सा वादी के नाम स्वीकृत करने और दिंनाक 13.08.2020 [illegible] रिकार्ड में वादी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) फलौदी

की दुरूस्ती न्यायालय के आदेश से सम्भव होना बताने से बमुकाम ग्राम खीचन तहसील फलोदी में पैदा होता है ग्राम खीचन में स्थित खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा किस्म बी–4 काश्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमल दरामद करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी तहसीलदार फलौदी द्वारा जवाब दावा पेश कर बताया की रिकार्ड दुरस्ती का क्षैत्राधिकार प्रतिवादी का नही है रिकार्ड दुरस्ती न्यायालय हाजा के आदेश से ही संबंधित है। वादी साक्ष्य के लिए वादी स्वय इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद उपस्थित हुए जिनके बयान कलंमबद्व किए गयें।

वादी अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम ग्राम खीचन में खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा किस्म बी–4 काश्त भूमि वादी की खातेदारी अधिकारों की स्थित हैं उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि पूर्व में स्योनारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति पुरोहित निवासी खीचन के नाम खातेदारी अभिलेख में दर्ज थी, वादी के पिता वलीखां और अदरीम के पिता लालखां ने स्योनारायणसिंह के अन्य खातेदारी अधिकारों की ग्राम खीचन स्थित भूमि के सम्बध में हुई भंयकर लड़ाई में वादी के पिता वलीखां के देहान्त होने से खातेदार स्योनारायणसिंह ने बाद में उक्त वादग्रस्त मूल रकबा 90 बीघा 19 बिस्वा भूमि अदरीम पुत्र लालखां 1/2 हिस्सा व वादी शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां 1/2 हिस्सा के रूप में बख्सीस कर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 289 ग्राम खीचन अदरीम व वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वक्त बख्सीसनामा एंव स्वीकृत होने नामान्तरकरण सं. 289 ग्राम खीचन वादी का लाड प्यार का बोलता नाम शेर मोहम्मद होने से बख्सीसनामा एंव नामान्तरकरण एंव राजस्व रेकर्ड में वादी का बोलचान का नाम शेरमोहम्मद दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में वादी का नाम इमू खां है इमूखां के नाम से ही वादी के पहचान सम्बधी सारे दस्वावेज बने हुए है अतः ग्राम खीचन में स्थित खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा काश्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तदनुसार अमल दरामद किये जानें की डिक्री सादिर फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम खीचन में स्थित खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा काश्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां घोषित किया जाता है वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खीचन में स्थित खसरा नं. 301/2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा काश्त भूमि के राजस्त्र रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां घोषित किया जाता है अतः तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल आहूजा) (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फलौदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां जाति मुसलमान निवासी रामदेवनगर आमला फलोदी तहसील जिला जोधपुर		1. तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

राहाय

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 28 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री सुमेंर सिह चौहान् अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खीचन में स्थित खसरा नं. 301 / 2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा काश्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर इमू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र वलीखां घोषित किया जाता है। तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested